प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई, पातेपुर (वैशाली)

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 (यथासंशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 (यथासंशोधित) के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या–1378, दिनांक–17.12.2021 एवं विभागीय पत्रांक–33, दिनांक–18.01.2022 के द्वारा राज्य के मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदो के विरूद्ध मध्य विद्यालय [illegible] पातेपुर में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक है।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी यदि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्त होना चाहते हो तो 30 दिनों के अन्दर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा। चयनित अभ्यर्थी की सूची–

क्र. सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थाई पता	मेधा सूची का क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	पदस्थापित विद्यायल का नाम
01	जितेन्द्र कुशवाहा	[illegible] कुशवाहा	[illegible]	32	सामान्य	10.07.199[illegible]	[illegible]
			[illegible]				

01. संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणीत छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे साथ ही प्रमाण पत्रों आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ–पत्र विहित प्रपत्र में प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगें।
02. योगदान के समय अभ्यर्थी कों असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
03. योगदान के समय अभ्यर्थीयों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
04. प्रमाण पत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियोजन रद्द कर दिया जाएगा। और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
05. संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरान्त ही योगदान स्वीकृत करेंगे।

कार्यपालक पदाधिकारी
–सह–सदस्य सचिव
प्रखण्ड शिक्षक नियोजन समिति, पातेपुर।

ज्ञापांक 1023 दिनांक 28.05.2022

प्रतिलिपिः– संबंधित नवनियुक्त शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थय अनुदेशक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थय अनुदेशक के योगदान की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website के पर अपलोड करना चाहेगें।

कार्यपालक पदाधिकारी
–सह–सदस्य सचिव
प्रखण्ड शिक्षक नियोजन समिति, पातेपुर।